



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़, 1942 (श०)

संख्या- 304 राँची, शुक्रवार,

26 जून, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

18 मई, 2020

संख्या-3/नि0सं0-09-87/2014 का.- 2465-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी श्री दीपांकर श्रीज्ञान (कोटि क्रमांक- 808/बी, गृह जिला- पटना) को विभागीय अधिसूचना संख्या 7427 दिनांक 17.08.2015 द्वारा निदेशक, गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली के पद पर 03 (तीन) वर्षों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।

2. संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 221536/ JAS(SCB)/ 2019 दिनांक 28.02.2019 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2939 दिनांक 05.04.2019 के द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति की तिथि 20.08.2018 से अगले 02 वर्षों (दिनांक 20.08.2020) तक प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित की गई है।

3. संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या 46741/JAS(SCB)/2020, दिनांक 19.03.2020 के द्वारा श्री श्रीज्ञान की प्रतिनियुक्ति अवधि 20.08.2022 तक विस्तारित करने के अनुरोध के आलोक में श्री दीपांकर श्रीज्ञान, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक- 808/बी, गृह जिला- पटना) की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 20.08.2022 तक विस्तारित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।
